Election Matter /Time bound

Urgent

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल,शिमला–171002,Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152
Email:secysec-hp@nic.in

No. SEC.(G)6-5/2020- 4744 **Dated, the** 26 **th August,2021**

To

The Secretary (Health)
to the Govt. of Himachal Pradesh
Shimla-2, H.P.

Subject: - **Appointment of Nodal Officers.**

Sir,

The State Election Commission is contemplating to conduct general elections of Panchayati Raj institutions in development block Keylong and Kaza of district Lahaul-Spiti and development block Pangi of district Chamba. Besides, there are certain casual vacancies which are also proposed to be filled up along with these elections in all non-tribal districts in the state of H.P.

Therefore, I am directed to request you to appoint Nodal Officers at Disrtrict Level/ Block Level in view of Covid-19 pandemic. The concerned Nodal officers shall remain in touch with the District Election Officers-cum-Deputy Commissioners and Block Development Officers, in order to ascertain the number of Panchayats where by-elections are being conducted in addition to above mentioned three development blocks. The SOP and other instructions for conducting elections during the Covid-19 pandemic are enclosed.

The names, designation and contact numbers of Nodal Officers may be intimated to Deputy Commissioners, SDMs of the areas and Block Development Officers with a copy to the State Election Commission.

Encls: As above

Yours faithfully

Secretary
State Election Commission
Himachal Pradesh

Endst No. SEC.(G)6-5/2020-4745-4838 **Dated, the** **th August,2021**

Copy to:-

1. The Director, Health Services, Himachal Pradesh, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-9.
2. All the District Election Officers-cum-Deputy Commissioners, H.P for information.
3. All the Block Development Officers, H.P. for information.

Secretary
State Election Commission
Himachal Pradesh

चुनाव सम्बन्धी
व्यक्तिगत ध्यानार्थ

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल,शिमला-171002Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152
Email:secysec-hp@nic.in

संख्याः– रा0नि0आ0(G)6–5 / 2020– 4839 शिमला–171 002 दिनांक अगस्त , ~~2021~~ 26-08-2021

कार्यालय आदेश

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है;

अतः राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि पंचायती राज संस्थाओं के आगामी निर्वाचन में मतदान करने के लिए ऐसे मतदाता भी आ सकेंगे जो कोविड–19 पॉजिटिव केस हों, या पृथक आवास में (Quarantined) हों। ऐसे रिपोर्ट किये गये व्यक्ति / व्यक्तियों की स्वयं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए और समाज के अन्य नागरिकों को जोखिम से बचाने के लिए, ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया विहित करने की आवश्यकता है;

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K व तत्सम्बन्धी सभी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी करता हैः–

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा पंचायतों में मतदान से **एक दिन** पूर्व की कोविड–19 पॉजिटिव तथा पृथक आवास (Quarantined) व्यक्तियों की सूचना सम्बन्धित उप–मण्डल अधिकारी एवं इस हेतू नियुक्त ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। मतदाता से सम्पर्क हेतू ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों का पूरा पता तथा मोबाइल नम्बर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
2. ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी, कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए या पृथक आवास (Quarantined) मतदाता से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्यकर्मी / पटवारी / पंचायत सचिव आदि को किसी सुरक्षित माध्यम से सम्पर्क करने हेतू निर्देशित करेगा। वह कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से उसका मतदाता सूची

में नाम एवं क्रमांक भी प्राप्त करेगा। यदि वह मतदान की इच्छा जाहिर करता है तो उसे कोविड–19 सुरक्षा के प्रोटोकॉल से अवगत करवाया जाएगा जिससे कि वह उचित सामाजिक दूरी के साथ मतदान केन्द्र पहुँचे। साथ ही उसे उसके लिए स्थापित मतदान की प्रक्रिया तथा मतदान के लिए तय समय की भी जानकारी दी जाएगी और उसे अपने साथ पहचान के लिए आधार कार्ड या आयोग द्वारा निर्धारित अन्य कोई फोटोयुक्त पहचान पत्र लाने को कहा जाएगा।सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी/पटवारी/पंचायत सचिव इन मतदाताओं का विवरण व इनकी कुल संख्या खण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी को सूचित करेंगे। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

3. कोविड–19 पॉजिटिव व पृथक आवास (Quarantined) मतदाताओं के सुचारु मतदान के लिए उचित रहेगा कि स्वास्थ्यकर्मी, पटवारी या पंचायत सचिव द्वारा ऐसे मतदाताओं से समय रहते ही सम्पर्क करना शुरु करें ताकि ऐसे मतदाताओं की संख्या को लेकर अनिश्चितता न रहे। इसके लिए आवश्यक है कि सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा समय पर कोविड–19 रोगियों या पृथकवास में रह रहें व्यक्तियों की सूची उपलब्ध करवाई जाए।
4. उपरोक्त श्रेणी के जिन मतदाताओं द्वारा मतदान की इच्छा जाहिर की गई है, सम्बन्धित ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनका ब्यौरा सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) को मतदान के एक दिन पहले मुहैया करवाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का मतदान सबसे अन्त में करवाया जायेगा। जब सभी सामान्य मतदाता मतदान कर चुके हों तो तत्पश्चात् मतदान दल के सदस्यों/पोलिंग एजेन्टस को छोड़कर शेष सभी को मतदान केन्द्र से दूर जाने को कहा जाएगा! तत्पश्चात्, पहले पृथक आवास (Quarantined) मतदाताओं को मतदान का मौका दिया जाएगा, और फिर कोविड–19 पॉजिटिव मतदाताओं से मतदान करवाया जाएगा। इन मतदाताओं को एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाते हुए अलग–अलग पंक्ति बनाने को कहा जाएगा। पृथक आवास (Quarantined) मतदाताओं के लिए अलग तथा कोविड–19 पॉजिटिव मतदाताओं के लिए अलग से पंक्ति बनाई जाएगी।
5. यदि उपरोक्त श्रेणी के किसी मतदाता द्वारा निकटतम स्वास्थ्यकर्मी, पटवारी या पंचायत सचिव को पूर्व में सम्पर्क करने पर मतदान की इच्छा जाहिर नहीं की गयी है तथा कोविड–19 या पृथक आवास में रह रहे मतदाताओं की जानकारी पहले शून्य दी गयी है, तो भी मतदान दल द्वारा ऐसे मतदाताओं के मतदान के लिए पूरी तैयारी रखी

जाएगी। यदि मतदान के दिन इस श्रेणी का कोई मतदाता मतदान केन्द्र में आता है तो निर्धारित नियमों के अनुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे मतदान की अनुमति दी जाएगी।

6. उपरोक्त श्रेणी के मतदाताओं के लिए मतदान का समय मतदान दिवस पर सांय 3 बजे के बाद होगा। सांय 3 बजे सामान्य मतदाताओं के द्वारा मतदान समाप्ति के पश्चात उक्त मतदाताओं द्वारा मतदान आरम्भ होगा।
7. स्वास्थ्यकर्मी PPE Kit पहन कर दूर से ही इन मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करेगा जिसके लिए सभी मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड या अन्य कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया हो, दूर से दिखा सकते हैं।
8. ऐसे मतदाताओं के मतदान शुरु करने से पूर्व दोनों मतपेटियॉ मतदान केन्द्र के द्वार पर मेज पर रखी जाएगी। इस दौरान पीठासीन अधिकारी व सुरक्षा कर्मी मतपेटियों से सुरक्षित दूरी पर खड़े रहेंगे तथा सुरक्षा कर्मी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को मतदान केन्द्र तथा मतपेटी के समीप आने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि अभ्यर्थियों के मतदान एजेन्ट दूर से इस मतदान प्रक्रिया को देख सकते हैं।
9. पहचान सुनिश्चित होने के उपरान्त स्वास्थ्य कर्मी द्वारा ऐसे मतदाताओं को Gloves पहनने को दिये जाएंगे तथा बारी–बारी से मतपत्र व Arrow Cross mark seal उपलब्ध करवायी जाएगी। इसके पश्चात् उन्हें मतपत्रों पर मोहर लगाने के उपरान्त उनको तहकर सम्बन्धित मतपेटी में डालने को कहा जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त मतदान के समय मतदान की गुप्तता (secrecy of vote) का पूर्ण ध्यान रखा जाए। पहले पृथक आवास (Quarantined) मतदाताओं को मतदान करवाया जाएगा। स्वास्थ्यकर्मी द्वारा प्रत्येक मत के बाद Arrow Cross Mark Seal को sanitize किया जाएगा। सबसे अन्त में कोविड–19 पॉजिटिव मतदाताओं से मतदान करवाया जाएगा।
10. कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गए तथा पृथक आवास में रह रहे व्यक्ति, स्वास्थ्य कर्मियों की देख–रेख में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल/निर्देश एवं इस सम्बन्ध में नियत सभी उपायों की पालना करते हुए मतदान करेंगे। मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा मतदान के समय गलब्ज पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों का अनुपालन करेंगें। कॉविड पॉजिटिव व पृथकवासी व्यक्ति को

उपलब्ध करवाये गए गलब्ज खुले में नहीं फैंके जाएंगें। निर्वाचन डियूटी पर नियुक्त चिकित्सा कर्मी सुनिश्चित करेंगें कि ऐसे गलब्ज को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एकत्रित कर नष्ट (Dispose off) किया जाए।

11. स्वास्थ्यकर्मी पीठासीन अधिकारी को उस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम एवं क्रमांक से अवगत करायेगा। उसकी पहचान के लिए Mask नहीं हटवाया जाएगा। मतदान अधिकारी मतपत्र के प्रतिपूर्ण पर (Counterfoil) इस आशय् का नोट डालकर मतदान के लिए अनुमति देगा।

12. ऐसे पृथक आवास (Quarantined) तथा कोविड–19 पॉजिटिव रिपोर्ट मतदाता द्वारा मतदान के समय मतदान दलों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसकी अंगूली पर अमिट स्याही लगाए जाने की एवं मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर/अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।

13. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सभी मतदान केन्द्रों पर Waste Disposal सम्बन्धी दिशा–निर्देश सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मी को दिए जाएंगे जिससे कि Waste Disposal सरकार द्वारा तत्सम्बंधी तय् नियमों के अनुसार किया जाए।

आदेश द्वारा
(अनिल कुमार खाची)
राज्य चुनाव आयुक्त
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171 002

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त शिमला–171 002 दिनांक-4840-5091-26 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव (पंचायती राज विभाग) हिमाचल प्रदेश।
3. सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त एवम् जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त उपमण्डलाधिकारी (सिविल) हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त जिला पंचायत अधिकारी एवम् सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश।
9. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

(डा0 के0 आर0 सैहजल)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
हिमाचल प्रदेश

चुनाव सम्बन्धी
व्यक्तिगत ध्यानार्थ

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल,शिमला-171002Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152
Email:secysec-hp@nic.in

संख्याः– रा0नि0आ0(G)6–5/2020– 5092 शिमला–171 002 दिनांक 23 अगस्त, 2021

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कोविड–19 के दृष्टिगत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

➢ **सामान्य निर्देशः**

1. चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कर्मियों को फेस मास्क लगाना आवश्यक होगा।
2. चुनाव कार्य में नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को मोबाईल में आरोग्य सेतु एप का उपयोग करना होगा।
3. चुनाव कार्य हेतू चयनित प्रत्येक स्थल एवं मतदान केन्द्र को उपयोग में लिए जाने से पूर्व सैनेटाइज करवाया जाए।
4. निर्वाचन हेतू प्रशिक्षण एवं मतदान दलों को प्रस्थान के समय इस कार्य में नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी के तापमान की जांच थर्मल स्कैनर से की जाए।
5. सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटका, तम्बाकू आदि का खाना केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।
6. कोविड–19 के संदर्भ में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेश के अन्तर्गत सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

➢ **नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्तिः**

1. जिला स्तर पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
2. खण्ड स्तर पर ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी को या उनके द्वारा नामित डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
3. नोडल अधिकारी निर्वाचन के दौरान कोविड–19 से बचाव हेतू सभी आवश्यक उपाय किया जाना सुनिश्चित करेगें। नोडल अधिकारियों के नाम एवं मोबाइल नम्बर निर्वाचन में नियुक्त सभी अधिकारी/कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएं।

4. कोविड–19 से बचाव हेतू सम्बन्धित समस्त प्रबन्ध उक्त नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन व निर्देशन में किये जाएंगे।

➢ **नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसीः**

1. रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी एवं सैनेटाईजर की व्यवस्था होगी एवं इसके प्रयोग के लिए dedicated कर्मी की नियुक्ति की जाएगी।
2. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल प्रत्याशी एवं उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। अन्य प्रत्याशियों एवं उनके साथ आने वाले व्यक्तियों का प्रतीक्षा हेतू कक्ष के बाहर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए जिससे उचित सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना हो सके।
4. नामांकन के अवसर पर अधिकतम दो वाहनों की ही अनुमति होगी।
5. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी आयोग की बेबसाईट से नामांकन पत्र डाउनलोड कर उसका उपयोग कर सकेगें। यदि कोई कोविड रोगी या संगरोध में रह रहा व्यक्ति निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष स्वयं नहीं जाएंगे।
6. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत समय में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को उनके आने के क्रम के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची दिये जाने के पश्चात् एक बडे हॉल में सोशल डिस्टेन्सिंग का ध्यान रखते हुए बैठाया जाए एवं उक्त क्रम में ही अभ्यर्थियों को एक एक करके रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश दिया जाए।
7. नामांकन पत्र की संवीक्षा (Scrutiny) बड़े हॉल में की जाएगी जिससे सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना सुनिश्चित की जा सके। जिला परिषद् से सम्बन्धित नामांकन पत्रों की संवीक्षा में वार्ड बार अभ्यर्थियों को एक–एक करके प्रवेश दिया

जाए। जब एक वार्ड के अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों तो शेष वार्डों के अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाए।

8. इसी प्रकार पंचायत समिति से सम्बन्धित नामांकन पत्रों की संवीक्षा में भी वार्ड–वार अभ्यर्थियों को एक–एक करके प्रवेश दिया जाएगा।
9. ग्राम पंचायत से सम्बन्धित नामांकन पत्रों की संवीक्षा में सर्व प्रथम प्रधान पद के उम्मीदवारों/निर्वाचन अभिकर्ता को प्रवेश दिया जाएगा। तत्पश्चात उप–प्रधान पद के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी।
10. प्रधान/उप–प्रधान पद की संवीक्षा उपरान्त हॉल खाली होने पर एक बार में केवल एक वार्ड के अभ्यर्थियों को संवीक्षा हेतू बुलाया जाए। इस प्रक्रिया का सभी वार्डों की संवीक्षा के दौरान अनुपालन किया जाए।
11. नाम वापसी के समय पर भी एक बार में एक ही व्यक्ति को रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रेवश हेतू अनुमति दी जाए।
12. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखित में इस आशय् की सूचना (Notice) दी जायेगी कि परिणाम की घोषणा के बाद यदि कोई जलूस, रैली या सभा आयोजित की जाती है तो कोविड–19 के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन्स की पालना किया जाना आवश्यक होगा। यदि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड–19 के सम्बन्ध में जारी गाईडलाईन का उल्लंघन किया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 एवं तत्समय प्रभाव अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। ऐसी सूचना (Notice) की दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

➢ **मतदान कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षणः**

1. जहॉ तक संभव हो निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था विकेन्द्रीकृत होगी। प्रशिक्षण हॉल में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाएंगें।
2. निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए यथासम्भव ऑनलाईन पद्धति का प्रयोग किया जाए।
3. मतदान कार्य हेतू 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मियों, को यथा संभव नियुक्त नहीं किया जाए। इसके साथ ही गम्भीर रोगों से ग्रसित कर्मियों जिनके कोविड–19 से

संक्रमित होने की आशंका अधिक है, को चुनाव कार्य में नियुक्त नहीं किया जाएगा। उक्त के अलावा गर्भवती महिलाओं (Pregnant women) एवं धात्री माताओं (Lactating mothers) तथा दिव्यांग कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया जाए।

4. कोविड–19 के दृष्टिगत उचित संख्या में रिजर्व (Reserve) मतदान कर्मी रखें जाऐं जिससे कि मतदान दल के किसी सदस्य में कोविड–19 के लक्षण पाए जाने की स्थिति में रिजर्व कर्मी/कर्मियों को उपयोग में लाया जा सके।
5. प्रशिक्षण स्थल पर Thermal Scanner, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी तथा सैनेटाईजर की उचित व्यवस्था की जाए।
6. प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
7. मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षण स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षणार्थियों को चरणवार बुलाया जाए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके।
8. प्रशिक्षण में उपयोग में आने वाली सामग्री को भी सैनेटाईज कर उपयोग में लिया जाए।
9. प्रशिक्षण स्थल को प्रतिदिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व तथा प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् sanitize किया जाएगा।
10. प्रशिक्षण के दौरान सम्बन्धित कर्मियों को कोविड–19 से सम्बन्धित सामग्री जैसे PPE Kit, Thermal Scanner आदि के प्रयोग का पर्याप्त प्रशिक्षण नोडल स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

➢ **मतदान दलों का प्रस्थानः**

1. प्रस्थान के दौरान प्रस्थान स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए मतदान दलों को अलग–अलग सत्रों में बुलाया जाए एवं तदानुसार ही मतदान दलों का प्रस्थान करवाया जाए।
2. मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण एवं मतदान दलों की रवानगी के समय सभी कर्मियों को यह स्पष्ट निर्देश प्रदान किए जाऐं कि वे मतदान के दौरान पूरे समय मास्क का उपयोग करेगें एवम् सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
3. प्रस्थान से पूर्व मतदान दल के प्रत्येक कर्मचारी एवं वाहन चालक की मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्कैनिंग की जाए।

4. मतदान दलों को उनके गंतव्य मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान करने से पूर्व एवं मतदान के पश्चात उनकी वापसी से पूर्व उपयोग के लिए जा रहे वाहन को समुचित रूप से सैनेटाइज किया जाए

5. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दल के सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था करते समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान दल के सदस्यों में उचित सामाजिक दूरी रहे एवं ठहरने के स्थान पर स्वच्छता एवं सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाए।

6. मतदान दल के सदस्यों के लिए निम्नलिखित किट उपलब्ध करवाई जाएगी:–

   (क) पॉकेट सैनेटाईजर (100ML)–मतदान दल के सदस्यों के निजी प्रयोग के लिए (सभी मतदान चरणों के लिए सिर्फ एक बार)

   (ख) स्प्रे सैनेटाईज़र (एक लीटर)–मतदान दिवस पर मतदाताओं के प्रयोग के लिए (प्रत्येक मतदान चरण के लिए एक लीटर की दर से)

   (ग) फेस शिल्ड (मतदान दल के सदस्यों के प्रयोग के लिए)! (एक प्रति मतदान सदस्य की दर से)।

   (घ) Gloves (मतदान दल के सदस्यों के प्रयोग के लिए)। (प्रति मतदान सदस्य प्रत्येक मतदान चरण एक Pair की दर से) इसके अतिरिक्त कॉउटिग स्टाफ तथा कॉविड पॉजिटिव व पृथक आवास मतदाताओं को भी (Gloves) दस्ताने उपलब्ध करवाये जाएगें।

   (ड़) Thermal Scanner (एक प्रति मतदान दल की दर से)

   (च) मतदान स्थल पर सामाजिक दूरी के लिए गोले (Circle) बनाने के लिए चॉक (Chalk)

➢ **चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचारः**

1. अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश (guideline) की पूर्ण रुप से पालना की जाएगी।

2. अभ्यर्थियों द्वारा घर–घर चुनाव प्रचार के समय पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए।

3. यदि कोई अभ्यर्थी, दल या समूह निर्वाचन से सम्बन्धित कोई जन या नुक्कड़ सभा करना चाहे तो उसमें केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी कोविड–19 से सम्बन्धित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जाए।

➢ **मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र की व्यवस्थाः–**

1. मतदान केन्द्र पर मतदान दल के सदस्यों/पोलिंग ऐजेन्टस के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाए।
2. मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाया जा सकेगा।
3. मतदान दिवस पर मतदान के लिए आने वाले प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश से पहले सैनेटाईज करने के पश्चात् ही मतदान के लिए कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा।
4. सभी मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर Thermal Scanner की व्यवस्था की जाएगी।
5. सैनेटाईज तथा Thermal Scanning का कार्य मतदान दल में नियुक्त एक अतिरिक्त पुलिसकर्मी/होमगार्ड/आशा वर्कर/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका द्वारा सम्पन्न किया जाएगा। इसके द्वारा ही मतदान के लिए लाईन में लगे मतदाताओं में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
6. पुलिसकर्मी/होमगार्ड द्वारा ही मतदान के लिए लाईन में लगे मतदाताओं में सोशल डिस्टैंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
7. Thermal Scanning के दौरान निर्धारित मानक से अधिक तापमान पाये जाने पर वैसे निर्वाचकों के तापमान की दोबारा जॉच आधा घंटा बाद की जाएगी। यदि फिर भी तापमान निर्धारित मानक से अधिक पाया जाता है तो उन्हें मतदान के अंतिम घंटे में आने के लिए कहा जाएगा। ऐसे निर्वाचक को पीठासीन अधिकारी द्वारा इस आशय् का प्रमाण पत्र अथवा टोकन भी प्रदान किया जाएगा तथा इस प्रकार के मतदाताओं का विवरण पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) द्वारा नोट किया जाएगा।
8. मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के मतदान करने हेतू यथासंभव तीन पंक्तियॉ पुरुष, महिला एवं दिव्यांगजनों/वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक–पृथक होंगी।
9. प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए 6 फीट (दो गज) की दूरी पर खड़े रहने हेतू पूर्व से ही गोले निर्धारित किये जाएंगे जहॉ प्रत्येक मतदाता मतदान हेतू अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। गोलों की संख्या से अधिक मतदाताओं को मतदान स्थल से बाहर रखा जायेगा।
10. संक्रमण से बचाव के लिए मतदान बूथ पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेन्ट तथा मतदान कर्मियों की बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान

रखते हुए की जाए। परन्तु यदि मतदान कक्ष की संरचना ऐसी है जिसमें अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेन्टस को अन्दर बैठाने से सामाजिक दूरी की पालना संभव नहीं है तो उन्हें कक्ष से बाहर इस तरह बैठाया जायेगा की कक्ष के अन्दर की कार्यवाही उनके द्वारा देखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर पीठासीन अधिकारी से बात की जा सके।

11. मतदान केन्द्र पर मतदान दल एवं मतदाताओं द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 की रोकथाम हेतू जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जाए।
12. मतदान के दौरान मतदान दल में नियुक्त किसी भी कर्मचारी को कोविड–19 के लक्षण पाए जाने पर ऐसे कर्मचारी को तुरन्त प्रभाव से अन्य कार्मियों से अलग कर दिया जाए। नोडल अधिकारी द्वारा ऐसे कर्मियों का कोविड परीक्षण करवाया जावे। परीक्षण के परिणाम की सूचना संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाए।
13. यदि पोलिंग एजेन्ट या Counting Agent में से किसी का तापमान निर्धारित मानक से ऊपर पाया जाता है तो Presiding Officer की अनुमति से उनका Reliever प्रदान किया जा सकता है और इस आशय् का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
14. अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर बनाये जाने वाले बूथ पर सैनेटाईजर की व्यवस्था रखनी होगी एवं मतदाताओं की सहायता के कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जायेगा। ऐसे बूथ पर अनावश्यक भीड़ नहीं होनी चाहिए। कोविड–19 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना की जायेगी।

➢ **मतगणनाः**

(क) पंचायती राज संस्थाओं की मतगणनाः

1. मतगणना स्थल पर रिटर्निंग अधिकारी, मतगणना हेतू प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी, मतगणना अभिकर्ता एवं अन्य अधिकृत व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
2. मतगणना कार्य हेतू यथा संभव बड़े हॉल/स्थान का चयन किया जाए, जिससे मतदान कार्य में नियुक्त कर्मियों एवं अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के मध्य उचित दूरी रह सके।
3. एक समय में एक पद की गणना की जाएगी। सर्वप्रथम पंचायत के सदस्यों की मतगणना की जाएगी, तत्पश्चात उप–प्रधान व प्रधान के पदों की मतगणना की

जाएगी। इसी प्रकार विकास खण्ड स्तर पर पहले पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना की जाएगी, तत्पश्चात जिला परिषद सदस्यों की मतगणना की जाएगी।

4. मतगणना केन्द्र पर एक प्रत्याशी व एक मतगणना अभिकर्ता को उपस्थित रहते की अनुमति दी जाए। जैसे ही जिस पद की मतगणना पूरी हो जाए उसके पद के प्रत्याशियों/एजेन्टों को मतगणना केन्द्र से बाहर जाने का आग्रह किया जाए ताकि सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पालन हो सके।
5. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतगणना एजेन्टों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रुप से देख सकें।
6. मतगणना में नियुक्त स्टाफ को (Gloves) दस्ताने पहनना आवश्यक होगा। मतगणना की समाप्ति पर (Gloves) दस्तानों को (Disposal) नष्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियत नियमों के अनुसार किया जाएगा।

➢ **मतदान सामग्री का संग्रहण:**

1. मतदान सामग्री संग्रहण स्थल पर साबुन, पानी एवं सैनेटाइजर की उचित व्यवस्था की जाए।
2. मतदान के पश्चात् ईवीएम एवं अन्य मतदान सामग्री के संग्रहण कार्य में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाए तथा इस हेतू नियुक्त कर्मियों द्वारा आवश्यक रुप से मास्क का उपयोग किया जाए।
3. मतदान सामग्री जमा कराने हेतू प्रत्येक काउण्टर पर कर्मियों के लिए पंक्ति में खड़े होने के लिए 6 फीट (दो गज) की दूरी पर गोले बनाए जाए।
4. इस दौरान यदि आवश्यकता पड़े तो अतिरिक्त पुलिसकर्मी को नियुक्त किया जाए ताकि वे मतदान सामग्री जमा कराने वाले कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पंक्ति बनाए रखें।

आदेश द्वारा
(अनिल कुमार खाची)
राज्य चुनाव आयुक्त
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त-5093-5269 शिमला–171 002 दिनांक अगस्त, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. सचिव (पंचायती राज विभाग) हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त एवम् जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) हिमाचल प्रदेश।
4. जिला पंचायत अधिकारी एवम् सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

(डा0 के0 आर0 सैहजल)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
हिमाचल प्रदेश